रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 888] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937
No. 888] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

का.आ. 1143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), मिजोरम (जिसे इसमें इसके पश्चात् मिजोरम के लिए प्राधिकरण कहा गया है), जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा का गठन करती है, अर्थात् ;

(क)	प्रोफेसर एच. लालरमनघिन्गलोवा, अध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय, तनहरील, आईजोल-796004	अध्यक्ष
(ख)	प्रोफेसर मोहम्मद जावेद, पर्यावरणीय इंजीनियरी प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी-781039, असम	सदस्य
(ग)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण और वन विभाग, मिजोरम सरकार।	सदस्य

2. मिजोरम प्राधिकरण का अध्यक्ष और गैर शासकीय सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. मिजोरम के लिए प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

4. मिजोरम के लिए प्राधिकरण अपने विनिश्चय मिजोरम राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.) की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, मिजोरम राज्य सरकार के परामर्श से मिजोरम के लिए प्राधिकरण की सहायता करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, मिजोरम (जिसे इसमें इसके पश्चात् मिजोरम के लिए एस.ई.ए.सी. कहा गया है) का गठन करती है ।

(i)	प्रोफेसर असीस मजूमदार, निदेशक, जल संसाधन इंजीनियरिंग स्कूल, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकत्ता	अध्यक्ष
(ii)	सी लालेनजिलाना, एम/30, रामहुलम दक्षिण, आईजोल मिजोरम-796001	सदस्य
(iii)	श्री ए. सी. जोनुनमाविया, पर्यावरण संरक्षण केन्द्र (सीईपी), बी-27/1 तुईकुआल दक्षिण, आईजोल-796001, मिजोरम	सदस्य
(iv)	डा. सी लालहमिंगलियाना, दुर्तलांग उत्तर, मिजोरम	सदस्य
(v)	वन संरक्षक (डब्ल्यू एल), कार्यालय मुख्य वन्यजीव वार्डन, पर्यावरण और वन विभाग, मिजोरम, आईजोल	सचिव

6. एस.ई.ए.सी., मिजोरम के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एस.ई.ए.सी., मिजोरम ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ।

8. एस.ई.ए.सी., मिजोरम सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में एकमत पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि एकमत पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

9. मिजोरम राज्य सरकार, प्राधिकरण और एस.ई.ए.सी., मिजोरम के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित उसे सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन प्रदान करेगी ।

10. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., मिजोरम के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का मिजोरम राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा।

[जे-11013/14/2009-आई.ए. II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2015.

S.O. 1143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Mizoram (hereinafter referred to as the Authority for Mizoram) comprising of the following Members, namely :—

(a) Prof. H Lalramnghinglova
Head, Department of Environmental Science,
Mizoram University, Tanhril, Aizawal-796004
Chairman

(b) Prof. Mohammad Jawed
Professor of Environmental Engineering,
Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Guwahati-781039, Assam
Member

(c) Additional Principal Chief Conservator of Forests,
Environment and Forests Department ,
Government of Mizoram
Member-Secretary

2. The Chairman and non-official Member of the Authority for Mizoram shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Mizoram shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for Mizoram shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Mizoram.

5. For the purposes of assisting the Authority for Mizoram, the Central Government, in consultation with the State Government of Mizoram, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Mizoram (hereinafter referred to as SEAC for Mizoram) comprising of the following Members, namely :—

(i)	Prof. Asis Mazumdar, Director, School of Water resources Engineering, Jadavpur University, Kolkata	Chairman
(ii)	Shri C. Lalengliana M/30, Ramhlum South, Aizawl Mizoram-796001	Member
(iii)	Shri A C Zonunmawia Centre for Environment Protection (CEP), B-27/1, Tuikual South, Aizawl-796001, Mizoram	Member

(iv)	Dr. C. Lalhmingliana Durtlang North, Mizoram	Member
(v)	Conservator of Forests (WL) Office of the Chief Wildlife Warden, Environment & Forests Department, Government of Mizoram	Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC for Mizoram shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC for Mizoram shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC for Mizoram shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The State Government of Mizoram shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Mizoram and SEAC for Mizoram and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority for Mizoram and the Chairman and Members of SEAC for Mizoram shall be paid in accordance with the concerned rules of the State Government of Mizoram.

[J-11013/14/ 2009- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.